

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.

28⁵/₁₈ प्राथमी का अवलाकन कया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से एत्रावला लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में बिनाक 18-6-18 का पेश हो। exp

18⁶/₁₈ पत्रावली केअथ कोर्ट कचेरीसुई में पेश हो। प्रतिवादी जाण को लः फेसला वर स्थित जिषेयामा से पपक किया जाता है कि जो विवाहित नारी की अंका व शरस्व सिंहादे की प्रशासित कगारे से (पत्रावली फेसला सुकअ होकर गठकर ले एअर हो लया वर अनीक संकाय वर हो। exp